



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092020-221846
CG-DL-E-21092020-221846

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2856]
No. 2856]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2020/भाद्र 30, 1942
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2020/BHADRA 30, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
आदेश

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2020

का. आ. 3204(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 66 की उपधारा (3) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि इस धारा की उप-धारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2021 तक, नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) वैश्विक महामारी की अवधि के दौरान ऑक्सीजन की दुलाई के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने वाले परिवहन यान को लागू नहीं होंगे।

[फा.सं. आर टी-11036/110/2020-एम वी एल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
ORDER

New Delhi, the 21st September, 2020

S.O. 3204(E).—In exercise of the powers conferred by the clause (n) of sub-section (3) of section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby specifies that the provisions of sub-section (1) of the section shall not apply to a transport vehicle, used exclusively for the carriage of oxygen during the period of Novel Corona Virus (COVID-19) pandemic, up to the 31st March, 2021.

[F. No. RT-11036/110/2020-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.